निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**20 ज्येष्ठ 1943 (श0)**

**(सं0 पटना 490) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021**

नगर विकास एवं आवास विभाग

**अधिसूचना**
**17 मार्च 2021**

I‚E 5 u0fo0@xBu&49@2020&1328/uEfoE ,o vkEfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ शेखपुरा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् बरबीघा का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4354 दिनांक–26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, बरबीघा का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

| क्रमांक | नगर निकाय का नाम | सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0 | सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम | नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित) | नगर निकाय की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | नगर परिषद बरबीघा | तेतारपुर 44<br>सरैया 46<br>खोजागाछी 31<br>दरियाचक 27<br>खलीलचक 28<br>समस खुर्द 30<br>बभनबीघा 32 | जगदीशपुर एवं सामस खुर्द | उत्तर–तोय–45<br>दक्षिण–मालदह–106<br>पूरब–करमनचक–66<br>पश्चिम– खेतलपुर–238<br>(नालन्दा जिला सीमाना) | 56831 |

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद बरबीघा कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
vjfoUn dqekj >k]
ljdkj ds la;qDr lfpoA

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 490-571+200-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**